# फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण — रामकिशोर

बनाम

अप्रार्थीगण — अणदाराम वगैरह

मुकदमा नं. 103 / 2021

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 9/12/2021 | यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी तथा सपठित 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री रामप्रकाश बैन्दा ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं ग्राम खिंयाला के खेत ख.न. 1610 रकबा 1.5297 है. खेत ख.न. 1615 रकबा 2.5495 है. खेत ख.न. 1726 रकबा 2.0882 है. एवं खेत ख.न. 248 रकबा 2.6628 है. भूमि प्रार्थी व अप्राथी सं. 1 बडेर की पुश्तैनी भमि है जो प्रार्थी के पिता अण्दाराम के नाम है। प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि तथा राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टयां मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें दोनो पक्षों का हित निहित है। उक्त भूमि में सुविधा का संतुलन भी उभयपक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् बंटवारे के बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी उभय पक्षकारान् को होगी।<br>अतः उभय पक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम खिंयाला के खेत ख.न. 1610 रकबा 1.5297 है. खेत ख.न. 1615 रकबा 2.5495 है. खेत ख.न. 1726 रकबा 2.0882 है. एवं खेत ख.न. 248 रकबा 2.6628 है. भूमि का बैचान, हस्तान्तरण आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे। अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी सम्मन मय रजिस्ट्रड डाक खर्च के साथ पेश करें।पत्रावली दिनांक 5.1.22 को पेश हो।<br>[signature] | |
| 27/12/21 | पत्रावली urgent hearing का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय की सहमति पर बहस प्रार्थना पत्र एवं शेष तलबी हेतु दिनांक 28.12.21 को पेश हो।<br>[signature] | [signature]<br>[signature] |

28/12/21 पत्रावली पेश हुई, वकुलाद उपस्थित। मूल वाद मे अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील चन्द्रराज बिदियासर ने वकालतनामा पेश किया। गत आदेशिका अनुसार वकुलाद की सहमति पर पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत है। बहस के दौरान वकीलप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र order 39 rules 07 के तहत पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। वकीलअप्रार्थी order 39 rules 07 प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करना चाहते है। मिसल वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र order 39 rules 07 एवं बकाया तलबी अप्रार्थी संख्या 2 से 3 दिनांक 31/1/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

31/1/22 पत्रावली पेश हुई! वकुलाद उपस्थित! वकील अप्रार्थी order 39 rules 07 CPC प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु समय चाहते है जो दिया जाता है। वकील प्रार्थी के द्वारा बकाया तलबी अप्रार्थी सं. 2 से 3 के समन तलबाना पेश नहीं किये एक अवसर न्यायहित में दिया जाकर मिसल वास्ते बकाया तलबी अप्रार्थी सं 2 से 3 व जवाबप्रार्थना पत्र order39rules 07CPC हेतु दिनांक 8/3/2022 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

08/3/2022 पत्रावली पेश हुई वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र O39 R7 का जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र O39 R7 CPC की बहस हेतु वकील प्रार्थी समय चाहते है अतः एक अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते शेष तलबी एवं बहस प्रा. पत्र O39 R7 हेतु दिनांक 23/3/2022 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

23/3/22

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

प्रार्थी/ अप्रार्थी के कारण

19/4/22

(नियम–26)

## अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

किस्म प्रकरण : मुकदमा नं.– /

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 29/3/22 | पत्रावली urgent hearing का प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर पत्रावली आज तारीख पेशी पर लेने पर पेश हुई। urgent hearing प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी को दिलाकर urgent hearing प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकुलाय की सहमति पर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र O39 R7 CPC एवं शेष तलबी दिनांक 31.3.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | (हस्ताक्षर) |
| 31.3.22 | पत्रावली पेश। वकुलाय उप.। बहस उभयपक्षकारान वकुलाय की प्रार्थना पत्र O39 R7 CPC पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 CPC में मौका कमीशनर नियुक्ति का प्रयोजन को नहीं दर्शाये जाने एवं प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 RT Act को लम्बा करने की मंशा प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र 212 RT Act O39 R1,2 CPC सपठित धारा 151 CPC से सम्बन्धित है. प्रार्थना पत्र O39 R7 CPC में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया जिसका परीक्षण मौका कमीशनर रिपोर्ट के बिना सम्भव ही नहीं हो। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र O39 R7 CPC (आदेश 39 नियम 7 सीपीसी) अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 RT Act एवं शेष तलबी हेतु दिनांक 07/4/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | Noted 11-4-22 |
| 7/4/22 | वकुलाय उप. गत आदेशिका की पालना में दिनांक 11/4/22 को पेश हो। | (हस्ताक्षर) |

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज |
|---|---|
| 11/4/2022 | वकील आये उपस्थ बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश रिजर्व रखी जाती है। |
| | सहायक कलक्टर (प्र.श्रे.) जायल |
| 4/5/22 | पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। पत्रावली से संबंधित मूल वाद जरिये निर्णय खारिज हो चुका है। प्रार्थनापत्र से संबंधित मूल वाद खारिज खारिज हो जाने से प्रार्थना पत्र को चलाने का औचित्य शेष नहीं रहा है अतः प्रार्थना पत्र मूल वाद के अभाव में खारिज किया जाता है। नियम निर्णय नत्थी के [illegible] होकर दाखिल दफ्तर रहे। |
| | सहायक कलक्टर (प्र.श्रे.) जायल |

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण–

1. रामकिशोर पुत्र अणदाराम
   जाति– जाट, निवासी– खिंयाला ,तहसील–जायल

अप्रार्थीगण–

1. अणदाराम पुत्र मोतीराम
   जाति – जाट, निवासी– खिंयाला ,तहसील–जायल
2. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
3. उप पंजीयक जायल

**प्रार्थना पत्र अधीन धारा आदेश–39 नियम 07 सी.पी.सी**
**प्रार्थना अधीन धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी**

1. अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिडियासर अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से।

मुकदमा नं. 103/2021 दिनांक : 31/03/2022

## – : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामकिशोर की ओर से वकील वादी श्री रामप्रकाश बेंदा ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 28.12.2021 को हस्तगत प्रकरण में पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2021 को दिनांक 28.12.2021 को पत्रावली पर लिया गया तथा प्रतिलिपि वकील अप्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1 ) को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में बताया कि मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1610, 1615, 1726, व 248 की मौके की स्थिति जानने हेतु मौका कमिश्नर की नियुक्ति किया जाना न्यायसंगत है जिससे मौके की स्थिति पत्रावली पर होने से प्रार्थी को न्याय मिलने में मदद मिलेगी। प्रार्थी मौका कमिश्नर का खर्चा वहन करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1610, 1615, 1726, व 248 की मौके की स्थिति जानने हेतु मौका कमिश्नर की नियुक्ति करने के आदेश प्रदान करावें।
2. वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 39 नियम 7 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1610, 1615, 1726 व 248 की मौके की स्थिति हेतु मौका कमिश्नर नियुक्ति की मांग की गई है परन्तु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आज खुद पेश करने का पर्याप्त कारण भी नहीं दर्शाया गया कि मौके की स्थिति क्यों चाही गई है। मौजा खिंयाल के खेत खसरा नंबर 1615 व

31/03/2022

खसरा नंबर 1726 अप्रार्थी नंबर 1 का स्वयं अर्जित खेत है जिस पर प्रार्थी या अन्य किसी का अधिकार नहीं है। आदेश 39 नियम 07 सीपीसी का प्रयोजन वाद की विषय वस्तु को यथावत रखना परिरक्षित करना व निरीक्षण करना निर्णित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट का प्रयोजन नहीं दर्शाया है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सारभूत आधार के अभाव में अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश फरमावें।

3. वकुलाय की सहमति पर प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 07 सीपीसी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आगामी तारीख पेशी पर नियत की गई।

4. वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान करते हुये निवेदन किया कि कि मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1610, 1615, 1726, व 248 की मौके की स्थिति जानने हेतु मौका कमिश्नर की नियुक्ति किया जाना न्यायसंगत है जिससे मौके की स्थिति पत्रावली पर होने से प्रार्थी को न्याय मिलने में मदद मिलेगी। प्रार्थी मौका कमिश्नर का खर्चा वहन करने को तैयार है।

5. वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के संबंधी वकील प्रार्थी के द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा मौजा खिंयाला के खेत खसरा नंबर 1610, 1615, 1726 व 248 की मौके की स्थिति हेतु मौका कमिश्नर नियुक्ति की मांग की गई है परन्तु प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आज खुद पेश करने का पर्याप्त कारण भी नहीं दर्शाया गया कि मौके की स्थिति क्यों चाही गई है। मौजा खिंयाल के खेत खसरा नंबर 1615 व खसरा नंबर 1726 अप्रार्थी नंबर 1 का स्वयं अर्जित खेत है जिस पर प्रार्थी या अन्य किसी का अधिकार नहीं है। आदेश 39 नियम 07 सीपीसी का प्रयोजन वाद की विषय वस्तु को यथावत रखना परिरक्षित करना व निरीक्षण करना निर्णित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मौका रिपोर्ट का प्रयोजन नहीं दर्शाया है अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 07 सारभूत आधार के अभाव में अस्वीकार कर खारिज करने का आदेश फरमावें।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया , वकुलाय की बहस पर मनन किया गया तथा **सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की आदेश 39 नियम 07 सीपीसी का अवलोकन किया जिसके तहत वाद की विषयवस्तु का निरोध, परिरक्षण, निरीक्षण आदि –**

**1. न्यायालय वाद के किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और ऐसे निबन्धनों पर जो ठीक समझे,–**

**(क) किसी भी ऐसी सम्पति के ऐसे वाद की विषय वस्तु है या जिसके बारे में उस वाद में कोई प्रश्न उद्भूत हो सकता हो, निरोध, परिरक्षण या निरीक्षण के लिये आदेश कर सकेगा।**

**(ख) ऐसे वाद के किसी भी अन्य पक्षकार के कब्जे में की किसी भी भूमि या भवन में पूर्वोक्त सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिये प्रवेश करने को किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकेगा, तथा**

31/03/2022

(ग) पूर्वोक्त सभी या किन्ही प्रयोजनों के लिए किन्ही भी ऐसे नमूनों का लिया जाना या किसी भी ऐसे प्रेक्षण या प्रयोग का किया जाना जो पूरी जानकारी या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो , प्राधिकृत कर सकेगा।

2. आदेशिका के निष्पादन संबंधी उपबंध प्रवेश करने के लिये इस नियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्तियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागु होंगें।

प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में पाया गया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी में मौका कमिश्नर नियुक्ति के प्रयोजन को नहीं दर्शाये जाने एवं प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटी एक्ट को लम्बा करने की श्रेणी में सम्यक प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी में विधि प्रश्न उदभूत होने की दशा में निरोध परिरक्षण या निरीक्षण के लिए व्यादेश की व्यवस्था करता है परन्तु हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आरटी एक्ट आर्डर 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्थगन से संबंधित है। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी ऐसा तथ्य भी पेश नहीं किया गया है जिसका परिरक्षण मौका कमिश्नर रिपोर्ट के बिना संभव ही नही हो। अतः हम वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अधीन सीपीसी आदेश 39 नियम 7 अस्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

– : : आदेश : : –

अतः उपरोक्त विवचेन के आधार पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31/03/2022 को सरे ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

31/03/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर